विवरण "क" में जो उड़ानें दी गई हैं उनमें श्री संजय गांधी ने प्रधान मंत्री तथा उन अन्य केन्द्रीय मंत्रियों की पार्टी के सदस्य के रूप में यात्रा की जिनके मांग पत्रों पर उड़ानों का प्रबन्ध किया गया था। वर्तमान आदेशों के अन्तर्गत प्रधान मंत्री और सम्बन्धित मंत्री भारतीय वायु सेना का अति विशिष्ट व्यक्ति (वी आई पी) विमान उपयोग करने के लिए प्राधिकृत हैं। वे अपने साथ किसी ऐसे व्यक्ति (व्यक्तियों) को ले जा सकते हैं जिसे मंत्री की यात्रा की सरकारी ड्यूटी के प्रयोजन के लिए विमान में ले जाना आवश्यक हो।

विवरण "ख" में जो उड़ानें दी गई हैं उनमें श्री संजय गांधी ने भारतीय वायु सेना के विमान में उन राज्यों के मुख्य मंत्रियों के साथ यात्रा की है जिनके लिए भुगतान करने पर उड़ानों की व्यवस्था की गई थी। भारतीय वायु सेना के विमानों में श्री संजय गांधी की यात्रा के लिए केन्द्र सकार द्वारा अलग से व्यय नहीं किया गया क्योंकि उसने अति विशिष्ट व्यक्ति/परम विशिष्ट व्यक्तियों द्वारा प्राधिकृत मांग-पत्रों अथवा राज्य सरकारों द्वारा भुगतान करने पर उपलब्ध विमान में यात्रा की थी।

Alleged Irregularities in Maruti Car Factory

148. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state:

(a) whether it is a fact that several irregularities have been alleged to have been committed by various individuals and authorities during the construction of the Maruti Car Factory on the outskirts of New Delhi;

(b) if so, whether a public, independent inquiry will be instituted in connection therewith;

(c) whether the factory has gone into production; and

(d) if so, the details of production todate?

THE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI BRIJLAL VERMA): (a) and (b). The Ministry of Industry is not aware of any irregularities alleged to have been committed during the construction of the Maruti Car Factory. However, based on the details of the factory building duly certified by a Chartered Accountant, release of 5655 tonnes of construction steel in a phased manner was recommended to the appropriate authority.

(c) Yes, Sir.

(d) According to the information furnished by M/s. Maruti Limited in May, 1976, the manufacture of cars had commenced at the rate of about 15/20 cars per month with effect from 7th July, 1975.

Time Capsule

149. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to unearth the Time Capsule embedded in the earth in Delhi a couple of years ago; and

(b) if so, when?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The Government shall take the earliest opportunity to examine the entire matter in detail and then finalise the course of action.

Investigation in an Alleged Assault on Shri Sanjay Gandhi

150. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the Minister of INFORMATION AND BROADCASTING be pleased to state:

(a) whether it is a fact that on the morning of March 14, 1977 the All India Radio broadcast a news item regarding an alleged assault on Shri Sanjay Gandhi reported to have taken place the previous night; and

(b) whether an investigation has been made into the alleged incident if so, with what result?

THE MINISTER OF INFORMATION AND BROADCASTING (SHRI L. K. ADVANI): (a) A news item regarding the alleged assault on Shri Sanjay Gandhi was broadcast by Akashvani on the morning of March 15, 1977 (and not March 14, 1977).

(b) Case No. 39 under section 307 of the Indian Penal Code has been registered on 15-3-1977 at 12.45 A.M. at Police Station, Amethi. Investigation of this case is under progress.

Introduction of a Bill for appointment of Lokpal and Lokayuktas

151. SHRI HARI VISHNU KAMATH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government propose to introduce a Bill for appointment of Lokpal and Lokayuktas in accordance with the recommendations of the Administrative Reforms Commission, vide its report of 1966; and

(b) if so, when?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b). The Government have already initiated action to examine the matter with a view to introducing, as soon as possible, the necessary legislation having regard to the recommendations of the for setting up the institutions of Lokpal and Lokayuktas at the Centre.

12.05 hrs.

QUESTION OF PRIVILEGE

ALLEGED ANNOUNCEMENT OF A POLICY MATTER BY THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY PLANNING OUTSIDE THE HOUSE RE. COMPENSATION TO VICTIMS OF STERILISATION.

श्री केशवराव धोंडगे (नांदेड़) : सदर साहब, मैं रूल 222 के तहत यहां पर प्रिविलेज मोशन पेश कर रहा हूं। इस सभा का अधिवेशन जारी रहते हुए गवर्नमेंट की कोई भी पालिसी चाहे वह इकोनोमिक हो, या फेमिली प्लानिंग के सम्बन्ध में हो, वह पहले हाउस के सामने आनी चाहिए। सदर साहब, बड़े अफसोस की बात है कि स्वास्थ्य मंत्री, सम्माननीय राज नारायण साहब ने कानपुर में 3 अप्रैल को एक वक्तव्य दिया जिसमें उन्होंने कहा कि स्टेरेलाइजेशन के बारे में, फेमिली प्लानिंग के बारे में जिन पर ज्यादतियां हुई हैं उनमें से हर आदमी क पांच हजार रुपये देने के बारे में उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट्स को लिखा है। इस तरह क उन्होंने कई घोषणाएं की हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि यह इस सभा का खुल्लमखुल्ला अपमान है कि इस सदन का अधिवेशन चलते हुए उन्होंने इस तरह की घोषणा यहां नहीं की। हम तो बाहर और यहां जम्हूरियत की बात करते हैं, लोकशाही की बात करते हैं। यह बाडी सावरन है, इस सावरन बाडी में पहले वक्तव्य न देना और बाहर दे देना यह ठीक नहीं है। मेरे ख्याल में यह सभा का अपमान है। इस तरह का रवैया ठीक नहीं है। पहले उन्हें यहां वक्तव्य देना चाहिए था। (व्यवधान) मैं उनसे अर्ज करूंगा कि इसके सम्बन्ध में सभा को सूचना दें। और सदर साहब आप इस बारे में इन्साफ दें ऐसा मैं आपको और सभागृह को गुजारिश करता हूं।

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (श्री राज नारायण) : अध्यक्ष महोदय, मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रस्ताव पेश किया गया है। मुझे खुशी है कि माननीय सदस्य ने मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना का प्रस्ताव रखा है। ऐसे प्रस्तावों का मैं बहुत सम्मान करता हूं। जब जब मेरे संसदीय जीवन में मेरे विरुद्ध विशेषाधिकार अवहेलना के प्रश्न रखे गये तब तब मैंने उनका स्वागत किया है। आज भी मैं इसका स्वागत करता हूं।